

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सक्षमति लिखित में दी गयी है। उक्त तहसीलदार द्वारा भी सक्षमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सक्षमति से किये जाने हेतु प्रार्थनाने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती साक्षर अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1	198	शंभुमन युज (अ.म.म.) मोहम्मद युज (अ.म.म.) शंभु कर्तार	788	2.51	शंभुमन युज (अ.म.म.) मोहम्मद युज (अ.म.म.) शंभु कर्तार	788	2.51

क्रमांक :-

202

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

12/10-21

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
BAGSA-2021, 2022, 2023

दिनांक :-

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर